

10-7-19 डाकी मय वकील डाकी उपस्थित। डाकी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। नाहि प्रकरण को चलाना चाहिए। डाकी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र काबल अवमानना खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अंजु शर्मा)
 सहायक क्लर्क
 फास्ट ट्रैक नीमकाथाना